कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः— 91 /FP/UK/ROAD/153125/2022 देहरादूनःदिनॉक 08 जुलाई, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय— जनपद—हरिद्वार में केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की—लक्सर—बालावाली मार्ग राज्य मार्ग संख्या—26 के किमी0 01 से किमी0 19 तक पेब्ड शोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 7.32 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः—आपकी पत्र संख्या—11/12—1 दिनांक 04—07—2022.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण की हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। हार्ड प्रतियों के गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न ~~प्रकार~~—प्रस्तावों में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। :—

1. प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
2. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
3. प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मीटर एवं 9 मीटर ROW में अलग—अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
4. प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
5. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2044/1—42(III) दिनांक 22—02—2022 एवं शासन के पत्रांक 290/X-3-22/5(03)2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः DSS Analysis की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।
6. प्रस्ताव में संलग्न Kml File में मलवा निस्तारण स्थल नहीं दर्शाये गये हैं। मलवा निस्तारण स्थलों को Kml File में दर्शाने का कष्ट करें।
7. प्रस्ताव में वैकल्पिक समरेखण की Kml File प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।
8. भारत सरकार के निर्देशानुसार स्पष्ट मलवा निस्तारण योजना संलग्न की जाय। मलवा निस्तारण हेतु चयनित नाप भूमि के सम्बन्ध में भूमि स्वामि की अनापत्ति संलग्न करने का कष्ट करें।
9. परियोजना में वन अधिकार, अधिनियम, के अन्तर्गत ग्राम वासियों का अनापत्ति प्रमाण—पत्र एवं ग्राम सभा बैठक की उपस्थिति का प्रमाण—पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है। कृपया उक्त प्रमाण—पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियॉ पाई गयी हैं अथवा जो अन्य बिन्दुओं की सूचनायें उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित हैं, उन कमियों/सूचनाओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी को इस कार्यालय से प्रस्ताव की सभी प्रतियों को वापस प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, तथा समस्त इंगित कमियों/ सूचनाओं का निराकरण कराते हुये प्रस्ताव सभी तीन मूल प्रतियों में पुनः इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्या 91 /FP/UK/ROAD/153225/2022 तद्दिनांकित।

1. **प्रतिलिपि** :—प्रभागीय वनाधिकारी, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. **प्रतिलिपि** :—अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव सभी तीन प्रतियों में इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक